



Neutral Citation No.-2026:AHC:6955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44282 वर्ष 2025

संतोष आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश कुमार यादव, सुनील कुमार उपाध्याय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार उपाध्याय, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने सुनवाई के लंबित रहने के दौरान धारा 302 भ०द०वि०, थाना-साहिबाबाद, जिला: गाजियाबाद के तहत 2023 के केस अपराध संख्या-790 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या-783 में जमानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक के बारे में कहा जाता है कि उसने मृतक व्यक्ति पर डंडा से हमला किया था और उसने 6.8.2023 को सुबह लगभग 07:00 बजे उसकी हत्या कर दी थी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में डेढ़ दिन से अधिक की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक व्यक्ति की पत्नी नेपाल से आई थी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज करने की परवाह नहीं की। बाद में चश्मदीद गवाह जुटाए गए हैं। स्टार गवाह बाबू ने कहा था कि आवेदक ने अचानक मृतक व्यक्ति पर डंडे से हमला किया था, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।

7. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्राथमिकी में या चश्मदीद गवाह द्वारा कोई मकसद नहीं सौंपा गया है। उक्त बयान को बाद के विचार के रूप में तैयार किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 14.8.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

9. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में दोहराया गया है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।



12. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत से इनकार कर दे।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी के गठन में देरी को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकी में या गवाह द्वारा कोई मकसद नहीं सौंपा गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

14. आवेदक- संतोष, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 12, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)